न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 92/2021

बलबीर पुत्र बस्तीराम, जाति स्वामी, निवासी झेरली, तहसील—सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट

—

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.05.2020 द्वारा अदालत मातहत न्यायालय तहसीलदार सूरजगढ उनवानी प्रकरण सरकार बनाम बलबीर मु0नं0 1/2020 अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956

—

उपस्थितः—

1. श्री राजकुमार सैनी, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट की ओर

आदेश

दिनांक 09.03.2022

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार सूरजगढ के निर्णय दिनांक 20.05.2020 के विरूद्व मय प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न आधारो सहित पेश है कि निर्णय योग्य अदालत मातहत खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। अदालत मातहत द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजो का सही रूप से अवलोकन नही किया है। अदालत मातहत के समक्ष अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व कब्जे बाबत अन्य दस्तावेज का सही रूप से अवलोकन नही कर अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली का निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट के उक्त भूमि पर पक्के आवासीय मकान बने हुए जो 70—80 साल पुराने है जिसमें अपीलान्ट के पूर्वजो का विवाह, खुशियां, बच्चों के जन्म तथा बुजुर्गो के निधन का गम सभी इन मकानात में हुआ है और इस मकान का अपीलान्ट का वंशानुगत जुडाव है। उक्त कानूनी तथ्यों पर गौर नही किया है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 के तहत बेदखली की कार्यवाही की गई है, जो गलत है। मूर्ति मन्दिर की भूमि पर धारा 91 भू राजस्व अधिनियम कें प्रावधान लागू नही होते है। लैण्ड होल्डर मूर्ति मन्दिर की भूमि पर धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है। लैण्ड होल्डर मूर्ति मन्दिर की भूमि पर धारा 91 के तहत कार्यवाही करने के लिए सक्षम नही है अदालत मातहत की उक्त कार्यवाही विधि विरूद्ध है। अपीलान्ट को उक्त भूमि से बेदखली ... की जानी चाहिए थी। जहां विधि का सारभूत तथ्य निहित हो वहा सरसरी प्रोसेडिंग के ... किसी को बेदखल नही किया जा सकता उक्त कानूनी तथ्यों पर अदालत मातहत ने गौर नही किया है। मूर्ति मन्दिर की भूमि से बेदखल करने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की ... ऐसी प्रावधानों मातहत ही नियमानुसार कार्यवही की जाकर बेदखल किया जा सकता है। ... कानूनी प्रावधानों की ... अदालत मातहत ने की है। अपीलान्ट से उक्त भूमि का लगान राज्य सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। जहां लगान लिया जाकर खातेदारी व काश्त के अधिकार दिये जाते है वहां धारा 91 के तहत कार्यवाही नही की जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.23 16:11:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

A 4/2

सकती है। अपीलान्ट की स्थिति खातेदार की है, न की अतिक्रमी की है। उक्त कानूनी तथ्यो पर अदालत मातहत ने गौर नही किया है। अपीलान्ट के द्वारा भूमि खसरा नं0 506 रकबा 0.39 हैक्टर के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ के यहां घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती का दावा कर रखा है जिसके मु0नं0 27/2020 है जो विचाराधीन है। उक्त भूमि अपीलान्ट की पैतृक दादालाई कृषिभूमि है उक्त विवादित भूमि के तत्कालीन काश्तकार उपकृषक बस्तीराम पुत्र जीताराम के विधिक वारिसान है मन्दिर श्री हनुमान जी वाके सा देह की पूजा अर्चना के लिए ठिकाना के समय से ही उक्त भूमि अपीलान्ट के पूर्वज काश्त करते रहे तथा वर्तमान में अपीलान्ट व उसका परिवार काश्त कर रहा है। अपीलान्ट के पास इस भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नही है। निर्णय अदालत मातहत का इलीगल, परवर्स एवं डिफेंडेट ज्यूरिडिक्शन है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश अदालत मातहत तहसीलदार सूरजगढ दिनांक 20.05.2020 को निरस्त फरमाया जावे।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजो का सही रूप से अवलोकन नही किया है। अदालत मातहत के समक्ष अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व कब्जे बाबत अन्य दस्तावेज का सही रूप से अवलोकन नही कर अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली का निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट के उक्त भूमि पर पक्के आवासीय मकान बने हुए जो 70–80 साल पुराने है जिसमें अपीलान्ट के पूर्वजो का विवाह, खुशियां, बच्चों के जन्म तथा बुजुर्गो के निधन का गम सभी इन मकानात में हुआ है और इस मकान का अपीलान्ट का वंशानुगत जुडाव है। उक्त कानूनी तथ्यों पर गौर नही किया है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 के तहत बेदखली की कार्यवाही की गई है, जो गलत है। मूर्ति मन्दिर की भूमि पर धारा 91 भू राजस्व अधिनियम कें प्रावधान लागू नही होते है। लैण्ड होल्डर मूर्ति मन्दिर की भूमि पर धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है। लैण्ड होल्डर मूर्ति मन्दिर की भूमि पर धारा 91 के तहत कार्यवाही करने के लिए सक्षम नही है अदालत मातहत की उक्त कार्यवाही विधि विरूद्ध है। अपीलान्ट को उक्त भूमि से बेदखल न कर नियमन की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। जहां विधि का सारभूत तथ्य निहित हो वहा सरसरी प्रोसेडिंग के द्वारा कानूननः किसी को बेदखल नही किया जा सकता उक्त कानूनी तथ्यों पर अदालत मातहत ने गौर नही किया है। मूर्ति मन्दिर की भूमि से बेदखल करने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 में प्रावधान है उसी प्रावधान के तहत ही नियमानुसार कार्यवही की जाकर बेदखल किया जा सकता है। उक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी अदालत मातहत ने की है। अपीलान्ट से उक्त भूमि का लगान राज्य सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। जहां लगान लिया जाकर खातेदारी व काश्त के अधिकार दिये जाते है वहां धारा 91 के तहत कार्यवाही नही की जा सकती है। अपीलान्ट की स्थिति खातेदार की है, न की अतिक्रमी की है। अपीलान्ट के द्वारा भूमि खसरा नं0 506 रकबा 0.39 हैक्टर के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ के यहां घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती का दावा कर रखा है जिसके मु0नं0 27/2020 है जो विचाराधीन है। उक्त भूमि अपीलान्ट की पैतृक दादालाई कृषिभूमि है उक्त विवादित भूमि के तत्कालीन काश्तकार उपकृषक बस्तीराम पुत्र जीताराम के विधिक वारिसान है मन्दिर श्री हनुमान जी वाके सा देह की पूजा अर्चना के लिए ठिकाना के समय से ही उक्त भूमि अपीलान्ट के पूर्वज काश्त करते रहे तथा वर्तमान में अपीलान्ट व उसका परिवार काश्त कर रहा है। अपीलान्ट के पास इस भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नही है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश अदालत मातहत तहसीलदार सूरजगढ दिनांक 20.05.2020 को निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.23 16:11:14 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम झेरली स्थित विवादित भूमि ख0न0 506 रकबा 0.39 है0 किस्म मंदिर श्री हनुमानजी मे से 0.014 हैक्टर जो कि मंदिर श्री हनुमानजी की भूमि है पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई हक व अधिकार नही है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि मंदिर खातेदारी की भूमि है एवं अपीलान्ट मंदिर का पुजारी है। अपीलान्ट का परिवार विवादित भूमि मे 80 साल से काबिज है। पुजारी को मंदिर भमि मे से नियमानुसार बेदखल नही किया जा सकता है। अपीलान्ट के विरूद्व राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 की कार्यवाही नही की जा सकता हैं अदालत मातहत को प्रकरण मे धारा 183 के तहत कार्यवाही करनी चाहिए थी। पूर्व मे अदालत हाजा द्वारा इसी भूमि मे से पक्के निर्माण को छोडकर शेष भूमि के अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के आलौच्य आदेश दिनांक 08.06.2021 को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम झेरली स्थित विवादित भूमि ख0न0 506 रकबा 0.39 है0 किस्म मंदिर श्री हनुमानजी मे से 0.014 हैक्टर जो कि सरकारी भूमि है पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई हक व अधिकार नही है। मंदिर भूमि पर अदालत मातहत द्वारा राजकीय भूमि मानकर राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नियमानुसार सही कार्यवाही की गई है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। वकील अपीलान्ट का कथन है कि पूर्व मे अदालत हाजा द्वारा इसी भूमि मे से पक्के निर्माण को छोडकर शेष भूमि के अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति मे हम अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.05.2020 को उचित नही मानते है। अतः अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.05.2020 खारिज किया जाता है तथा निर्णय प्रति इस निर्देश के साथ अदालत मातहत को प्रेषित की जाती है कि अदालत मातहत तहसीलदार सूरजगढ विवादित भूमि पर पक्के निर्माण को छोडकर शेष भाग पर बेदखली की कार्यवाही करें। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.23 15:11:14 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं